उद्योग संवर्धन नीति 2004 को अधिक उद्योग–मित्र बनाने हेतु संगोष्ठी

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्ययोजना के कतिपय प्रावधानों तथा अन्य विभागों की नीतियों, नियमों, विसंगतियों में यथोचित संशोधन करने तथा उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा एक मंत्रीपरिषद उप समिति का गठन दिनांक 28.03.2006 को किया गया। इसके अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल गौर, मंत्री, वाणिज्यि कर, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, सार्वजनिक उपक्रम, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा सदस्य माननीय श्री राघवजी, मंत्री वित्त, योजना एवं आर्थिक और सांख्यिकी, 20 सूत्र कार्यान्वयन तथा माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, लोकनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा विभाग है। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग इस समिति के सचिव है।

उपरोक्त उप समिति द्वारा बैठक दिनांक 26.04.2006 में निर्णय लिया गया कि इन्दौर में एक संगोष्ठी (Symposium) का आयोजन किया जावें। इसके पालन में इन्दौर में श्री गोविन्दराम सक्सेरिया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस में दिनांक 28 मई 2006 को संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में उपरोक्त गठित मंत्री परिषद उप समिति के सदस्यों के अतिरिक्त इन्दौर के जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। संगोष्ठी को माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भी संबोधित किया।

उक्त संगोष्ठी में विभिन्न उद्योगपतियों, उद्यमियों एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं प्रचलित उद्योग नीति को और अधिक 'उद्योग मित्र' बनाने के लिए अपने रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किये। इस संगोष्ठी के पूर्व भी उनके द्वारा सुझाव शासन को प्रेषित किये गये थे। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए छः समूह बनाये गये । समूहों में विषयवार चर्चा की गई जिसमें औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त उद्योग विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। समूहवार प्रस्तुत प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः–

श्रम नियमो से संबंधित सुझाव/अनुशंसाएं

- श्रम संबंधित समस्याओं हेतु एक विशेष त्रिपक्षीय समिति जिला स्तर पर बनाई जावें जिसमें श्रमिक संघो, उद्योगो से संबंधित एवं श्रम विभाग के प्रतिनिधि शामिल हों एवं इसकी मासिक बैठक हो तथा राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय समिति की तीन माह में एक बार बैठक हो।
- समिति में निम्न विषयों के संबंध में चर्चा हो :–

1. श्रम कानूनों में आज की उद्योगों की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन हेतु एक पृथक त्रिपक्षीय समिति बनाई जावे, जिसके द्वारा एक वर्ष के अन्दर रिपोर्ट तैयार कर शासन को सोंपी जावे।

2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 में उल्लेखित नियुक्त एवं नियोजक की परिभाषा में संशोधन किया जावे एवं ठेका श्रमिकों को परिभाषा से हटाया जाये।

3. कारखाना अधिनियम में 8 घंटे काम करने का अधिकार हैं, लेकिन श्रमिक 8 घंटे की उत्पादकता देगा, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतः श्रम मूल्य के रूप में चुकाई गयी कीमत का पूर्ण लाभ 480 मिनिट के उत्पादन समय के रूप में प्राप्त हो, इस संबंध में आवश्यक संशोधन किया जावे।

4. श्रम कानूनों में लचीलापन लाना अत्यंत आवश्यक हैं।

5. संविदा श्रमिक के नियोजन के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना चाहिए।

6. औद्योगिक संबंधों में नियोक्ता नियुक्ति के मामलों में एट्रोसिटीज एक्ट लागू नहीं होना चाहिए।

7. बी. आई. एफ. आर. में श्रम विभाग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8. श्रम संघ कानून को पुनः परिभाषित करना चाहिए।

9. रोजगार कार्यालय की भूमिका उद्योगों में सहायक नहीं हैं, अतः उससे संबंधित स्टेटमेंट समाप्त किया जाना चहिए।

10. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत सेवाऐं राज्य सरकार के अंतर्गत हैं उसमें आमूल–चूल परिवर्तन करना चाहिए एवं इस हेतु पृथक–पृथक त्रिपक्षीय सुझाव कमेटी बनाई जानी चाहिए।

ऊर्जा विभाग से संबंधित सुझाव/अनुशंसाएं

ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सुझाव में सभी को यह बताया कि इण्डस्ट्रीयल फीडर में पिछले एक वर्ष से किसी भी तरीके की कटौती नहीं है एवं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो रही है। यह भी बताया गया कि सन् 2009 में प्रदेश से सरप्लस पावर, अन्य राज्य को दिया जा सकेगा। विभिन्न एसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव पर ग्रुप ने चर्चा कर, निम्नलिखित सुझाव उच्चस्तरीय मंत्री परिषद समिति को प्रेषित करती है :–

1. केप्टिव पावर जनरेशन पूर्णतः ड्यूटी एवं कर मुक्त की जावे।

2. पावर प्लांट लगाने पर वैट एक्ट के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस खरीदने पर वैट लगाने के बाद इनपुट रिबेट नहीं मिलता है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः इनपुट रिबेट की पात्रता मिलनी चाहिए। इस बाबद वैट एक्ट में और संशोधन कराये गये है।

3. वर्तमान में 10 पैसे विद्युत युनिट लेते हैं, नहीं लेना चाहिए।

4. ग्रुप यह सुझाव भी दे रहा है कि नॉन–कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन पूर्णतः ड्यूटी एवं टेक्स मुक्त होना चाहिए और नॉन–ड्यूटी जनरेशन के लिए वृहद प्रयास किए जाने चाहिए। इस बाबद फारेस्ट लैंड एवं रेवन्यू लैंड की एन.ओ.सी. बाबद परेशानियां दूर की जानी चाहिए एवं निश्चित समय में एन.ओ.सी. मिलनी चाहिए।

5. कुछ उद्योग जो सीजनल नेचर के होते हैं, जो साल में 6 महीने ही चलते हैं जैसे सोयाबीन, प्लास्टिक पाईप इत्यादि, उन्हें ''सीजनल इण्डस्ट्री'' घोषित कर उन पर मिनिमम चार्जेस उस अवधि के लिए ही लिए जाना चहिए, जो उद्योगवार निर्धारित की जाए।

6. ग्रुप के कई सदस्यों ने बार–बार एम.पी.ई.आर.सी. द्वारा जल्द–जल्द बढाई जा रही विद्युत दरों के बारे में ध्यान आकर्षित किया और यह बताया कि मिनिमम चार्जेस एवं फिक्स्ड चार्जेस दोनो का एक साथ लगाया जाना न्याय–संगत नहीं है। उपस्थित सदस्यों ने यह भी बताया कि एम.पी.ई.आर.सी. में ज्यूडीशियल अथारिटी का होना अत्यंत जरूरी है।

7. एनर्जी सेक्टर के ग्रोथ के लिए यह भी सुझाव आया है कि नए पावर प्लॉट्स स्थापित करने हेतु अन्य राज्यो जैसे प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।उदाहरण के रूप में आंन्ध्र प्रदेश में 70 पैसे मिनिट की सबसिडी नए उद्योगो को दी जाती है एवं डेव्हलपमेंट एवं सर्विस लाईन चार्जेस नहीं लिए जाते है।

बीमार उद्योगों के संबंध में सुझाव/अनुशंसाएं

1. विद्युत से संबंधित समस्याएं : विद्युत में सरचार्ज/ब्याज माफ किया जाय। बीमार इकाईयों के पुनर्जीवन में शुरु के एक साल के लिए न्यूनतम डिमांड चार्ज नहीं लिया जाकर वास्तविक आपूर्ति पर चार्ज लिया जाये।

2. बकाया राशि की वसूली 36 किश्तों में लेने का प्रावधान किया जावे। नवीन सुरक्षा निधि, बकाया बिल राशि के 36 मासिक किश्तों में भुगतान के उपरांत ली जानी चाहिए।

3. पॉलिसी में निर्धारित नीतियों के संबंध में जारी किये जाने वाले निर्देशों को एक निश्चित समय में जारी कर दिया जाना चाहिए।

4. वित्तीय संस्थाओं एवं बैंको द्वारा अधिग्रहित बंद औद्योगिक इकाईयों एवं बी. आई.एफ.आर. अथवा परिसमापक को संदर्भित बीमार/बन्द इकाईयों के विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पूर्णतः माफ की जा चुकी है किन्तु जारी नोटिफिकेशन में सेल–डीड करने के पूर्व कलेक्टर/कमिश्नर की अनुमति का प्रावधान कर दिया गया है, जिसे समाप्त किया जाये।

5. निर्देशों के क्रियान्वयन यदि नियत समयावधि में नहीं किये जाते हैं, तो उन निर्देशों को डीम्ड स्वीकृति मानी जावे।

6. विभिन्न विभागों से संबंधित स्वीकृत सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिये एकल खिड़की प्रणाली मान्य की जावे, जिससे संबंधित विभाग उस सुविधा विशेष को तत्काल स्वीकृत करें।

7. जो बीमार / बन्द / मृतप्राय इकाई पुनर्जीवन हेतु बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा नये क्रेता को विक्रय की जाती है, तो ऐसे क्रेता से म.प्र.वि.म. / ए.के.वी.एन. / वाणिज्यिक कर विभाग पुराने बकाया की मांग नहीं करें। उसे नयी सुविधा प्रदान करे।

8. विभिन्न विभागों की बकाया राशि पर ब्याज / सरचार्ज तुरंत ही माफ कर दिये जाने चाहिए।

9. ए.के.वी.एन. के संबंध में स्ट्रीट लाईट चार्जेस, वास्तविक रूप से उपयोगिता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

10. ए.के.वी.एन. के लीज, किराया शेष राशि जो पूर्व इकाई पर होती है, उसकी वसूली नई इकाई से नहीं की जानी चाहिए।

11. बीमार इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं के द्वारा नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं योजना प्रावधानों के आधार पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

12. विभाग द्वारा एक बार अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिये जाने के उपरांत दुबारा किसी भी प्रकार की मांग नहीं होना चाहिए।

13. विभिन्न विभागों को दिये जाने वाली राशि को बजट में तुरंत सम्मिलित करना चाहिए एवं योजना क्रियान्वित करने वाले विभाग को प्रदत्त की जानी चाहिए, जिससे कि राशि संबंधित विभागों को दी जा सकें।

14. उद्योग–मित्र योजना के अनुरूप एक विशेष योजना, एक निश्चित समय के लिये (एक साल) प्रदेश में लागू की जानी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इकाईयों को पुनर्जीवित किया जा सके।

15. बीमार इकाईयों में लगे हुये अनुपयोगी विद्युत संयंत्रों का उपयोग, विद्युत मण्डल द्वारा किया जा कर, उस इकाई के पुनर्जीवन में सहयोग किया जावे।

16. बीमार इकाई जो अभी अपात्र अथवा पात्र हो, को बीमार घोषित होने पर, पात्र उद्योगों की तरह सुविधा दी जानी चाहिए।

सुविधाओं / रियायतों के संबंध में सुझाव / अनुशंसायें

1– पंजीयन शुल्क छूट संबंधी सभी अधिसूचना जारी होना शेष हैं। स्टाम्प ड्यूटी की छूट की कुछ अधिसूचना जारी हुई हैं। अतः सभी शेष अधिसूचना जारी की जावे।

2– उद्योग संवर्धन नीति की कंडिका क्रमांक 4.2.13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में ऋण संबंधी बंधक पत्रों के निष्पादन में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में छूट केवल इंगलिश मार्टगेज में दी गई है। अतः यह छूट इक्वीटेबल मार्टगेज पर भी देने हेतु अधिसूचना जारी होना है। इस संबंध में सुझाव दिया गया कि जारी अधिसूचना में ''कब्जा रहित बंधकों की लिखितों पर'' शब्द विलोपित किये जाने से समाधान हो जायेगा।

3– उद्योग संवर्धन नीति 2004 में निकटस्थ रक्त संबंधितों के लिए भूमि अंतरण के लिए हस्तांतरण शुल्क का निर्धारण के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग से स्टाम्प शुल्क का आदेश जारी नहीं होने से काफी समस्या आ रही है। अतः वर्तमान में उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना, वाणिज्यिक कर विभाग से जारी की जावे।

4– औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केन्द्रों की भूमि एवं शेड के पट्टाभिलेख पर स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क की शेष अधिसूचनाएं जारी की जावे।

5– वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा दिनांक 07.07.2005 को जारी अधिसूचना क्रमांक 20/25/5/बी/11 को वापस लिया जावे एवं जिन उद्योगों द्वारा दिनांक 07.07.05 के पूर्व प्रभावी कदम उठा चुके हैं, उन्हें कंडिका क्रमांक 4.2.1 एवं 4.2.2 तथा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना का सम्मिलित लाभ दिया जावे।

6– उद्योग निवेश संवर्धन सहायता रूपये 1.00 करोड़ के स्थान पर रूपये 10.00 लाख से अधिक पूंजी निवेश पर दी जावे।

7– उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना में प्रक्रिया में सुधार किया जाना जरूरी है एवं इसमें आगामी वर्ष में कर समायोजन के स्थान पर अगली तिमाही में कर समायोजन उसी वर्ष में दिया जावे।

8– प्रवेश कर मुक्ति सुविधा हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 21, दिनांक 04.04.05 में डायवर्सीफिकेशन, मार्डनाईजेशन एवं विस्तार इकाईयों में क्षमता की विस्तार शब्द को विलोपित करते हुए 50 प्रतिशत अथवा 25.00 करोड़ रूपये जो कम हो, इकाई को लाभ दिया जाये।

9– उद्योग विहीन विकास खण्डों को पुनः चिन्हित करने संबंधी नोटिफिकेशन शीघ्र जारी की जावे।

10– उद्योग संवर्धन नीति की कण्डिका क्रमांक 4.2.19 में विस्तार, डायवर्सीफिकेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए लघु उद्योगों को 50 प्रतिशत क्षमता विस्तार अथवा रूपये 10.00 लाख जो अधिक हो, विनियोजन पर लाभ दिया जावे।

11– उद्योग संवर्धन नीति 2004 के अंतर्गत घोषित अपात्र उद्योगों की सूची को संशोधित किया जाकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग व परम्परागत उद्योगों को नेगेटिव लिस्ट से विलोपित किया जावे।

12– उपरोक्त क्रमांक 11 के अनुसार कार्यवाही किये जाने से मेसर्स विशाल फ्लोर एण्ड फूड्स, पचौर, जिला राजगढ़ की समस्या का समाधान हो सकेगा। चूंकि यह इकाई परम्परागत फ्लोर मिल न होकर एक आधुनिक आटोमेटिक फ्लोर मिल है।

13– उद्योगों के शेड व निर्माण क्षेत्र पर सम्पत्ति कर कम से कम लगाते हुए अतिरिक्त लीज भूमि पर करारोपण न हो।

14– कोल्ड रोल्ड क्वाईल एवं चादर निर्माताओं को, ओल्ड रोल्ड निर्माताओं के समकक्ष रखा जाये।

15– डी.ई.पी.बी. पर कर समाप्त किया जावे।

16– देय प्रवेश कर के विरूद्ध इनपुट टेक्स रिबेट के समायोजन का प्रावधान किया जावे।

17– ई.ओ.यू. इकाईयों को एस.ई.झेड. इकाईयों के समकक्ष माना जावे।

18– उद्योग नीति में अप्रवासी भारतीयों एवं निर्यातक इकाईयों के लिए विशिष्ट रूप से सुविधा दी जावे, जैसा कि पूर्व में 1994 की औद्योगिक नीति में अधिसूचना दिनांक 06.06.95 के द्वारा दी गई थी।

19– ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनमें एन.आर.आई. अथवा ओवरसीज कारपोरेट बाडीज से अतिरिक्त शेयर केपीटल के रूप में 26 प्रतिशत राशि विस्तार, डायवर्सीफिकेशन आदि हेतु लाई गई हो, उन्हें पूर्व की भांति स्पेशल स्टेटस दिये जाने की व्यवस्था नीति में हो।

20– उत्पादन के 3 वर्ष पश्चात तक पूंजी निवेश को गणना में सम्मिलित किया जावे।

21– रूपये 25 करोड़/रूपये 10 करोड़ (कृषि/खाद्य इकाईयों के लिये) से अधिक का पूंजी निवेश कर लगाये जाने वाले मेगा प्रोजेक्ट को 5 वर्ष के स्थान पर 11 वर्षों के लिये प्रवेश कर की सुविधा दी जावे।

22– औद्योगिक नीति की कंडिका 4.2.19 के प्रावधान अनुसार बड़ी इकाईयों के लिये स्थायी आस्तियों में पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत् पूंजी निवेश की शर्त हटाई जावे तथा 25 करोड़/10 करोड़ (कृषि/खाद्य इकाईयों के लिये) से अधिक के पूंजी निवेश वाली इकाईयों को मेगा प्रोजेक्ट्स को नए उत्पादों हेतु 25 करोड़/10 करोड़ (कृषि/खाद्य इकाईयों के लिये) से अधिक की राशि पर सुविधा जावे।

23– प्रवेशकर अधिसूचना क्रमांक (21) दिनांक 04.04.2005 की अपात्र उद्योगों की सूची से सॉल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लांट, वनस्पति प्लांट एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अपात्र श्रेणी से हटाया जावे।

24– उद्योग संवर्धन नीति 2004 की कंडिका 4.2.15 में प्रावधानित उद्योग निवेश संवर्धन सहायता हेतु पूर्व वर्ष में जमा कर की 50/75 प्रतिशत् राशि आगामी वर्ष के देय कर में विवरणपत्रों में ही समायोजित कर लेने की सुविधा दी जावे एवं उक्त सुविधा 50/75 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत की जावे।

25– अनफेयर टैक्स एडवान्टेज हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल आदि राज्यों में सेंट्रल एक्साइस, सी.एस.टी. आदि पर छूट है, इससअे औद्येगिक इकाईयों को 30–35 प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है, मध्यप्रदेश जैसा पिछड़ा राज्य इससे प्रभावित होते हैं, अतः :–

a) MRP पर एक्साइस ड्यूटी 16 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की जावे। इसकी अनुशंसा टास्क फोर्स द्वारा की गई है।

b) उत्पादक उद्योगों को ही टैक्स सुविधा दी जावे जॉबवर्क करने वाली इकाईयों को यह सुविधा नहीं दी जावे।

उपरोक्तानुसार राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन को समुचित ज्ञापन व ध्यानाकर्षण किया जावे।

26– यदि कोई उद्योग उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत डावर्ससिफिकेशन कर 10/25 करोड का पूजी निवेश करते है व इसमे कोई नए उत्पाद को भी सम्मिलित किया जाता है ऐसे उद्योग में उक्त उत्पादन को भी यह छूट दी जावे।

27– उद्योग संवर्घन नीति की अधिसूचनाए एवं शीर्ष समिति द्वारा लिये गये निर्णयो के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओ में विरोधाभास की स्थिति न रहे शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधीकार समिति द्वारा लिये गये निर्णय अध्यारोही प्रभाव से लागू किये जाये।

- शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा लये गये निर्णयो के पालन हेतु एवं अध्रिासूचनाएं जारी करने हेतु अन्य विभागो को भी पालन हेतु निर्देशित किया जावे।
- इन्सीडेण्टल गुडस एवं कच्चे माल पर विक्रय कर के भुगतान से छूट दी जावे।

विस्तार एवं डायवर्सीफिकेशन के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत स्थापित एवं अर्जित की गई प्लांट एवं मशीनरी पर प्रवेश कर के भुगतान में छूट दी जावे।

28– अ) कपास एवं अन्य कच्चे माल को 1 प्रतिशत प्रवेश कर से मुक्त किया जावे, जिससे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से बराबरी हो सके।

ब) कपास पर मण्डी शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जावे जैसे कि महाराष्ट्र में है एवं इस पर 0.2 प्रतिशत सरचार्ज न लिया जावे।

स) टेक्सटाइल उद्योगों से निर्मित वस्तुएं निर्यात प्रधान हैं। इनमें अंतर्राज्यीय व्यापार पर इनपुट टैक्स माफ किया जावे।

29– भारत शासन द्वारा फार्मास्यूटिकल उद्योगों के पुनरिक्षित शेड्यूल – 'एम' को दिनांक 01.07.2005 से मेनडेटरी किये जाने से लघु उद्योगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा, अतः फार्मास्यूटिकल उद्योगों को विशेष पैकेज दिया जावे, जिसमें यदि वे वर्तमान में रू. 10.00 लाख या 50% विस्तार जो अधिक हो तो नये उद्योगों के रूप में लाभ दिया जावे।

फार्मास्यूटिकल उद्योगों में शेड्यूल – 'एम' उद्योगों को ग्लोबल स्टेण्डर्ड निर्धारित है, जो लघु उद्योगों के लिये संधारित करना कठिन है। ऐसी स्थिति में लघु उद्योगों में रू. 10 लाख का निवेश करने पर उद्योगों को नया निवेश माना जाये।

अन्य सुझाव / बिन्दु :–

(1) सोसाइटी द्वारा बुरहानपुर में प्रस्तावित पॉवरलूम पार्क को केन्द्र सरकार की तरह 40% अनुदान दिया जावे।

(2) उद्योग नीति में सहकारिता के अंतर्गत विकास का उल्लेख नहीं है। सोसायटी करीब 40 एकड़ भूमि क्रय कर पॉवरलूम पार्क स्थापित करने हेतु प्रयासरत है। इस पर स्टेम्प ड्यूटी एवं पंजीयन छूट की मॉग की है चूँकि उनके अनुसार संस्था को निजी भूमि क्रय कर उस पर औद्योगिक पार्क निमार्ण करने की स्थिति में पंजीयन शुल्क एवं स्टेम्प डयूटी हेतु लगभगे 16.5 प्रतिशत का आर्थिक भार वहन करना होगा ।

(3) वैट कानून के अंतर्गत डाक विभाग व रेल विभाग को विक्रय अनुसूची II की तरह सभी राज्य, केन्द्र शासन व सुरक्षा संस्थानों को विक्रय अनुसूची II में रखा जाना चाहिए व केन्द्रीय विक्रय कर के समतुल्य दर हो।

(4) रिचार्जेवल टार्च को कृषि उपकरण के समकक्ष वर्गीकृत कर, कर मुक्त करें।

(5) दाल मिल उद्योगों को एंट्री टैक्स (वर्तमान 1 प्रतिशत) से मुक्त कर महराष्ट्र, गुजरात से प्रतियोगी बनायें। उद्योगों केा अन्य प्रांतीय उद्योगों से प्रतियोगिता में कठिनाई आ रही है।

(6) चूना पत्थर व कोयले को उद्योगों के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए कर मुक्त किया जावे।

(7) हीरा कटिंग, पॉलिशिंग उद्योगों को नीति के तहत 9 वर्ष के लिए 1% प्रवेश कर से कर मुक्त किया जावे।

(8) घमेला/सब्बल को वैट कर मुक्त करें।

इम्लीमेन्टेशन इश्यूज संबंधी अनुशंसाएं

समूह द्वारा किये गये विचार–विमर्श से औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन के सम्बध में निम्न विचारणीय बिन्दु सामने आये –

(1) औद्योगिक नीति का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

(2) औद्योगिक नीति में लिये गये संकल्पो हेतु जारी अधिसूचनाये कहीं–कहीं शीघ्रता से एवं मन्शा के अनुरुप नही है। इसे शीघ्रता से दूर किया जावे।

(3) नीति के वो बिन्दु जिन्हे एक से अधिक प्रकार से निर्वचित (interpretation) किया जा सकता है, उनका मानक निर्वचन जारी किया जावे ताकि अर्थ की दुविधा एवं मतभिन्नता समाप्त हो सके ।

(4) अधिसूचनाओं को जारी करने में उद्योगों का प्रतिनिधित्व एवं परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

(5) अधिसूचित आदेशों का सभी विभागो द्वारा मन्शा के अनुरुप समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

(6) विभिन्न स्तरों पर गठित साधिकार समितियों द्वारा नियमित रुप से परिणामोन्मुखी (result oriented)कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन का सतत् मूल्यांकन सुनिश्चित किया जावे।

(7) शासन की कर नीति मे आकस्मिक परिर्वतन उद्योगों की निरन्तरता एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अतः कर नीति एक निश्चित समयावधि के लिए अपरिवर्तित (unchanged) रहनी चाहिए।

(8) प्रयोगात्मक रुप से मालवा अन्चल मे एक **ग्रोथ टॉस्क–फोर्स** का गठन किया जावे एवं इसे अधिकार सम्पन्न बनाया जावे ताकि यह अपने स्तर पर ही समयबद्ध परिणाम दे सके। नीति में घोषित परिक्षैत्रीय उद्योग कार्यालय, इसके सचिवालय के रुप में कार्य करें।

(अ) यह समिति, इस बात का प्रयास करेगी कि स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक (competitive) बन सके।

(ब) यह समिति, सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सिफारिशें भी प्रेषित करेगी।

(9) राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा नीति के क्रियान्वयन का सतत् मूल्यांकन किया जावे तथा उत्तरदायित्वों की समीक्षा भी की जावे।

fofo/k xzqi dh vuqla'kk,a

श्री राजेन्द्र कोठारी, रेजीडेंट डायरेक्टर, पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की अध्यक्षता में हुई समूह चर्चा में सम्मिलित सदस्यों की सूची संलग्न है। ग्रुप की अनुशंसाएं निम्नानुसार है :-

1. उद्योग मित्र प्रशासन

- इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन एक्ट तत्काल लाया जाये।
- साधिकार समितियों को डीम्ड एप्रूवल जारी करने अधिकृत बनाया जाये।
- इन समितियों में उद्योग संघों/उद्योगों के प्रतिनिधियों को नामांकित किया जाये।

2. अधोसंरचना विकास

- औद्योगिक क्षेत्रों का अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में विकास किया जावें, जिनमें हरित क्षेत्र, उम्दा सड़कें, आवासीय, व्यावसायिक एवं मनोरंजन सुविधाएं हों।
- इन टाउनशिप का प्रबंधन विकासकर्ता एजेंसी एवं उद्योग संघों के माध्यम से किया जायें।
- एम.पी.एस.आई.डी.सी. निजी क्षेत्र से विशेषज्ञता एवं निवेश प्राप्त करने हेतु नेतृत्व करें।
- वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों विशेषकर शहरों में स्थित क्षेत्रों को अपग्रेड करने स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जायें।
- औद्योगिक क्षेत्रों एवं विकास केंद्रों के विकास, रखरखाव एवं दोहरे कराधान से बचाव हेतु आंध्रप्रदेश मॉडल तत्काल क्रियान्वित किया जाये।

- औद्योगिक क्षेत्रों एवं ग्रोथ सेंटर्स हेतु शासन द्वारा संपत्ति कर की एक समान दरें घोषित की जायें।

3. स्टोर परचेस रूल्स

- नियम तत्काल अधिसूचित हों तथा शासकीय विभागों द्वारा लघु उद्योगों से खरीदी सुनिश्चित की जायें।

4. एस.एम.ई. पॉलिसी

- पृथक एस.एम.ई. पॉलिसी बनाई जाये तथा संचालनालय एवं परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों को अधिकार सम्पन्न बनाया जावे।

5. एकल आवेदन प्रणाली

- उद्योगों हेतु आवश्यक सभी सम्मतियों तथा सुविधाओं एवं छूट की स्वीकृति हेतु एकल आवेदन प्रणाली लागू की जावें।

6. भू–आवंटन नियम

- उद्योग मित्र भूमि आवंटन नियम एक माह में जारी किये जायें।

7. प्रदूषण निवारण

- प्रदूषणकारी उद्योगों की सूची जारी कर शेष उद्योगों को अनापत्ति प्राप्त करने से मुक्त रखा जाये।

8. अधिकार संपन्न परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय

- उद्योगों/निवेशकों को परिक्षेत्र व जिला सतर पर सहूलियत व सहायता देने के लिए अधिकार संपन्न परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों को तत्काल पुनः प्रारंभ किया जायें।
- इन्हें नीति क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी बनाकर निवेशकों एवं बीमार उद्योगों को ''एस्कार्ट सर्विस'' उपलब्ध कराई जाये।
- प्रमुख जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योगों/निवेशकों के कार्य हेतु पृथक महाप्रबंधक रखे जायें।

9. वस्त्रोद्योग विकास

यह उद्योग पांच लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है, अतः

- विशेष अधिकारी ''टेक्सटाइल कमिश्नर'' नामांकित किया जायें।
- इन उद्योगों को कराधान, ऊर्जा दरों एवं श्रम नीति सम्बंधी अन्य राज्यों के समकक्ष कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जायें।
- निमरानी एवं मण्डीदीप को टेक्सटाइल पार्क बनाया जायें।

10. तकनीकी श्रम उपलब्धता

- मध्यप्रदेश में कुशल मानव संसाधनों की विशेषकर, इंजीनियरिंग, आटो कम्पोनेंट, टेक्सटाइल, आई.टी. बायोटेक्नोलॉजी उद्योगों हेतु तथा प्रशिक्षित कार्य सहायकों की बहुत कमी है। ऐसे संसाधन तैयार करने के लिए आई.टी.आई. विकसित किये जायें।

11. परिवहन संबद्धता (कनेक्टिविटी)

- पीथमपुर होकर इंदौर मनमाड रेल्वे लाइन का कार्य प्रारंभ करने उच्च स्तरीय अनुसरण किया जाये।
- खण्डवा–इंदौर को ब्राडगेज से जोड़ा जायें।
- भोपाल एवं इंदौर एयरपोर्ट अपग्रेड किये जायें।

12. फार्मा उद्योग विकास

- फार्मा उद्योग को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता आवश्यक है। निर्यात संभावनाएं समयबद्ध प्रक्रिया पर निर्भर है। अतएव ''ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर कार्यालय'' इंदौर में तत्काल खोला जायें।

उपरोक्तानुसार समूहवार प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा संगोष्ठी को संबोधित किया गया।

माननीय मुख्यमंत्रीजी का उद्बोधन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके लिए सभी संबंधितों की राय और भागीदारी से नयी औद्योगिक नीति का निर्माण किया जायगा। यह नीति ऐसी होगी जो दीर्घकालीन विकास का पोषण करेगी। उन्होंने इसमें उद्योगपतियों और उद्यमियों से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहां प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2004 की समीक्षा और अधिक उद्योग–मित्र बनाने के लिए आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी की अध्यक्षता उद्योग मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने की। वित्त मंत्री श्री राघवजी तथा लोक निर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम औद्योगिक नीति को वल्लभ भवन के बंद कमरों में बैठकर नही बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नीति का पुनर्सृजन एक समावेशी इन्क्लूसिव तरीके से हो। उसमें सभी तरह के स्टेकहोल्डर्स की रायशुमारी हो और म.प्र. में एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के निर्माण में हम सब मिल जुलकर हाथ बँटाने का काम करें। एक ऐसे वक्त जब प्रदेश 21 वीं सदी के पहले दशक में प्रवेश कर गया है, आज जो बुनियाद हम बनाएंगे वह सब आगे के म.प्र. पर स्थाई प्रभाव छोड़ेगी।

श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश पिछले कुछ सालों में देश के प्रमुखतम अन्नागार के रूप में उभरा है। आज खाद्यान्न के मामले में हम देश में तृतीय हैं जबकि दलहन और तिलहन के मामले में देश में प्रथम। इससे स्पष्ट है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार बहुत मजबूत है। औद्योगीकरण की नींव का सु॰ढ़ होना राज्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। बरसों बाद हमने एक रेवेन्यू सरप्लस बजट दिया है, दशकों बाद यह स्थिति आई है कि हमें एक दिन के लिए भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लेना पड़ा। हमारी आय के बढ़ने के पीछे हमारी चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी नीति इस बात के प्रति संवेदनशील हुए बिना विश्वसनीय नहीं होगी कि उद्योग राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास करें। विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना नई औद्योगिक नीति की प्राथमिकता होनी चाहिए। औद्योगिक नीति पूंजी सृजन के साथ रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए भी संकल्पित होनी चाहिए। उद्योग नीति को पूर्व की तमाम नीतियों की विकृतियां और असफलताओं का विश्लेषण भी करना होगा। उद्योग नीति सिर्फ इंसेटिव पैकेज का नाम नहीं है। कितनी ज्यादा सब्सिडी हों, कितने ज्यादा इंसेटिव हों, वे कभी भी किसी क्षेत्र में अधोरचना का विकास न होने की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते।

श्री चौहान ने कहा कि हमें ध्यान यह भी रखना है कि उद्योग नीति को हम वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के युग में नए सिरे से बना रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन आदि से हमारे नए कमिटमेंट बने है। उद्योग नीति को इन सबकी चिंता करनी है।

श्री चौहान ने कहा कि उद्योग नीति की पुनर्रचना में हमें यह भी देखना होगा कि उद्योगों की स्थापना नगरीय ढांचे पर कैसे दबाव पैदा करती है? इसलिए पुरानी ग्रोथ सेंटर वाली एस्टेट डेवलपमेंट एप्रोच की जगह औद्योगिक टाउनशिप का वक्त आ गया है, यह विचार करना होगा।

क्योंकि बात सिर्फ यह नहीं है कि कुछ फैक्टरियां बन जाएं और प्रोडक्शन फेसिलिटी स्थापित हो जाएं बल्कि यह भी देखा जाए कि क्या ट्रेड एवं फायनेंस सेंटर बने हैं, क्या एक्ज़ीबीशन सेंटर बने हैं, क्या कन्वेंशन सेटर बने हैं, क्या कारपोरेट हेडक्वार्टर्स बनें है?

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे फ्रेंक जापा की वह उक्ति याद आती है कि **राजनीति इंडस्ट्री की मनोरंजन शाखा है, एंटरटेनमेंट ब्रांच** है। इसलिए मैं पहले ही ईमानदारी से कह दूं कि औद्योगिक विकास सभी स्टेकहोल्डर्स की गम्भीरता चाहता है और कोई राजनीति नहीं चाहता। दूसरे यह भी आश्वस्त कर दूं कि विकास का मतलब है परिवर्तन और परिवर्तन का मतलब है रिस्क। जोखिम। मेरी सरकार प्रदेश के विकास में उद्योगों का सहयोग पाने के लिए जोखिम उठाने को भी तैयार है। मुझे ध्यान है कि मेरी पार्टी के मेरे वरिष्ठ मित्र श्री अरुण शौरी ने हाल में लिखी अपनी पुस्तक 'गवर्नेंस' में बताया है कि कैसे यह एक चीज सिंगल विंडो जैसी अवधारणाओं से ज्यादा बड़ी है और यह भी कि **प्रभावशाली प्रशासन परिणतियों से नापा जाता है, व्यवस्थाओं के सरलीकरण की कोशिशों से नहीं।** इसलिए अब वक्त आ गया है कि जब हमें लागत और समय के ओवर रन्स की जिम्मेदारियां और जबाबदेही तय करनी पड़ेगी। **कागजी औद्योगिकीकरण** से न अपने को बहलाया जा सकता है, न जनता को भरमाया जा सकता है। **औद्योगिक प्रशासन स्लो मोशन की फिल्म नहीं** है, यह हममें से प्रत्येक को समझना होगा। हमारे कई कानून ब्रिटिश राज की जरूरतों के हिसाब से बने हैं और हम उद्योग–उन्मुखी विकास के लिए उन सभी कानूनों, नियमों, उपविधियों की बेबाक समीक्षा के लिए तैयार हैं, ताकि अप्रासंगिक बंधनों की जकड़ से उद्यमियों और निवेशकों की इच्छाशक्ति को आजाद करा सकें।

श्री चौहान ने कहा कि अपने प्रदेश की औद्योगिक जलवायु को सुधारने के लिए हमने अपनी अधोसंरचना को सबसे पहले सुधारने का रास्ता चुना है। **औद्योगिक विकास का कोई रोडमैप बिना रोड्स के पूरा नहीं होता।** आज मेरे प्रदेश में प्रति दिन 22 किमी की रफ्तार से सड़कें बन रहीं हैं। हम अभी तक 12000 किमी सड़कें बना चुके हैं और भाजपा शासन का कार्यकाल पूरा होने तक 40,000 किमी सड़कें प्रदेश में और बनेंगी। हम जानते हैं कि **ऊबड़ खाबड़ सडकों पर** उद्योगों और निवेशकों के लिए **बिछाया गया रेड कारपेट** तो शासन की विश्वसनीयता को और गढ्ढे में गिराता है।

और बिजली का मामला। **भगवान ने कहा था 'स्मज जीमतम इम सपहीजण्' (लेट देअर बी लाइट) और लाइट हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का तो जेस्टेशन पीरियड ही बहुत लम्बा है।** अब यह पीरियड पूरा हो रहा है। मध्यप्रदेश में हमने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कैप्टिव पावर पालिसी में रेडिकल परिवर्तन किए हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उद्योग किसी द्वीप की तरह नहीं पनपते और इस कारण हम बिजली की बेहतरी की कोशिश उद्योगों के आसपास मौजूद समाज के लिए भी कर रहे हैं। हमारी कोशिशों के अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। वे दिन गए जब पावर रायट्स हुआ करते थे। हमने पुराने प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने और नई उत्पादन इकाइयों की आधारशिला रखने दोनों में ही कार्रवाई की है। पानी के मामले में हमने देवास में औद्योगिक जलापूर्ति के लिए देश भर में अपनी तरह का पहला बीओटी आधारित प्रोजेक्ट शुरू किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जब भी अपनी उद्योग संवर्धन नीति की बात करता हूं तो यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ब्यूरोक्रेटिक मैंडेट में मार्केट की विज्डम पर या उपभोक्ता की इच्छाओं के ऊपर जगह नहीं दे रहा हूं। **उद्योग संवर्धन नीति 2004 में हम लेकर आए थे और हम अपने आप को लगातार अपडेट करने के लिए खुले हुए हैं। मुझे म.प्र. की जबर्दस्त संभावनाओं पर, इसके पोटेंशियल पर अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है।** पिछले कुछ सालों में हमने

लगातार कृषि उत्पादकता पुरस्कार जीते हैं। इसलिए मैं आशान्वित हूं कि एग्रो प्रासेसिंग का एक नया दौर म.प्र. में आएगा जिसका दोहन करने के लिए हमने कई एग्रो पार्क्स की स्थापना की है और कृषि निर्यात जोन भी बनाए हैं। म.प्र. का डायनेमि￾म इस बात से भी रेखांकित होता है कि **हम पहले राज्य थे जिसने आक्ट्राय खत्म किया। हम पहले राज्य थे जहां फाइबर आप्टिक जैसी फ्रंटीयर टेक्नोलाजी आई, हम पहले राज्य थे जिसने अधोरचना को निजी निवेशकों के लिए खोला।** लेकिन अधोरचना के सवाल को अब हम किसी दूसरे सेक्टर के नाम पर बलिदान भी नहीं करना चाहते। हम अधोरचना को अधिकतम राजकीय समर्थन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने इस साल बजट में सड़कों पर 103ऽ की राशि वृद्धि की है। बिजली में 70ऽ और सिंचाई में दुगुनी। **हम प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किसी तरह के बजटरी पलायनवाद के हथियार की तरह नहीं ले रहे।** यह इसी से स्पष्ट है। कुछ सालों पहले अधोरचना निजीकरण राज्य सरकार द्वारा अपनी जिम्मेदारियों की ओर से पीठ फेरने या मुंह मोड़ने की तकनीक बन गया था। यह हम नहीं होने देंगे। मेरे आत्मविश्वास का कारण मेरा वह बजट भी है जो 13 साल बाद रेवेयू सरप्लस बजट रहा और मेरे राज्य की वह अर्थव्यवस्था भी है जिसमें तीस सालों बाद वह स्थिति आई जब एक भी दिन का ओवरड्राफ्ट हमें नहीं लेना पड़ा। **हम लोग अपनी आर्थिकी की नींवों को लगातार मज़बूत कर रहे हैं** और इस बुनियादी शक्ति के कारण आपके सामने विचार और विमर्श के लिए प्रस्तुत हुए हैं।

श्री चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि औद्योगिक नीति का सही मॉडेल सब्सिडी को बढ़ाने और करों को कम करने में उतना नहीं मिलेगा जितना सरकार और निजी क्षेत्र के बीच इस मामले में कॉलाबरेशन करने में कि कहां कहां रिस्ट्रक्चरिंग में बाधाएं आ रही हैं और किस तरह का हस्तक्षेप उन बाधाओं को ज्यादा प्रभावी तरह से दूर कर सकेगा। हमें **औद्योगिक नीति के विश्लेषण का आधार प्रक्रिया की शुद्धता से कई गुना ज्यादा नीति के परिणामों को बनाना होगा।** हमने इस साल से **परिणामी बजट** देने की परंपरा शुरू की है। दूसरे औद्योगिक नीति उद्योग को, उसकी स्थापना को एक घटना, एक ईवेंट मानकर खत्म न हो जाए बल्कि उद्योगों से सरकार की एक **आनगोइंग रिलेशनशिप** शुरू करें।

श्री चौहान ने कहा कि औद्योगिक नीतियां प्रायः नए निवेश को आकर्षित करने में ज्यादा प्रवृत्त होती हैं। लेकिन पुराने को बचाए रखना भी, उससे ज्यादा नही तो, उतना ही जरूरी है। हमें उद्योगों के पुनर्वास के सवाल को भी देखना है। आज **म.प्र. के प्रत्येक बड़े नगर में एक जंग–पट्टी है जहां पिछले समय में बने और विकसित हुए उद्योगों और कल कारखानों की लाशें पड़ी हुई हैं। यह औद्योगिक वेस्टलैंड है। उद्योगों की बंजरभूमि** हमें उन्हें भी नए नज़रिए से देखना होगा। प्रदेश में **आई.टी.** क्षेत्र के विकास के लिए हमने नई आई.टी. नीति की घोषणा की है, और मैं आशा करता हूं कि हम आने वाले वर्षों में आई.टी. के क्षेत्र में भी तेजी से विकास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे शासन के अनेक विभागों से संपर्क करना पड़ता है । उसे लगता है कि उद्योग लगाना उसका काम है, सरकार की तरफ से उसे उतनी अर्जेन्सी महसूस नहीं होती। सिंगल विंडो की अवधारणा बहुत पुरानी है। अक्सर यह सिंगल विंडो आपके लिए एक और नई खिड़की बन जाती है। अगर पहले 6 विन्डो भी तो अब 7 हो जाती है। इसे समाप्त करना है। सिंगल विन्डो की ही नहीं सभी विन्डो को। इसकी जगह हमें सिंगल टेबल क्रिएट करना है जहां आप और सभी शासकीय विभाग बैठें और आमने सामने बात कर मुद्दों को सुलझाएं करें।

इसके लिए मैंने 'प्रोजेक्ट क्लीयरेंस एंड एम्प्लीमेंटेशन बोर्ड गठित' करने का निर्णय लिया था । आप अपना प्रस्ताव लेकर संबंधित विभाग में जाएं जो उसे बोर्ड में आपकी उपस्थिति में चर्चा करेंगे और आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहीं होगी।

मेरे कार्यालय में इसकी मानीटरिंग तथा फालोअप के लिए प्रकोष्ठ गठित है। यह बोर्ड मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा और सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेगा। मैंने यह भी निर्णय लिया है कि बोर्ड की बैठक कम से कम हर माह पहले और तीसरे मंगलवार को होगी। जरूरत हो तो हर सप्ताह बैठक करें। परन्तु हर बैठक में विचार–विमर्श निवेशकों के सामने होगा।

मैं मानता हूँ कि इससे हमारे निराकरण में गति आएगी, आपका समय एवं ऊर्जा बचेगी और प्रदेश को आपकी क्षमता का लाभ होगा।

श्री चौहान ने कहा कि हम प्रदेश के सभी **पुराने तथा नए निवेशकों के** प्रति **कृतज्ञता** व्यक्त करते हैं क्योंकि आपने मध्यप्रदेश को देश के प्रगतिशील पंक्ति में जोड़ने में हमारा साथ दिया और मध्यप्रदेश के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया। हम ०ढ़संकल्प हैं कि हम आपके निवेश को सार्थक बनाने में आपके सहयोगी बन सकेंगे। फिक्की (थ्प्ब्ब्) के साथ संयुक्त रूप से **जनवरी 2007 में 'ग्लोबल डेस्टिनेशन–मध्यप्रदेश'** का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश–विदेश से नये निवेशकों को आमंत्रित कर प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण विकास में उद्योगों को अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका अदा करनी है और इस विमर्श के जरिए हम उस भूमिका के विविध पहलुओं के प्रति अपनी सेंसिटिविटीज़ विकसित करने में सफल सिद्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी स्तर की समितियों में औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी अधिसूचनाएं जारी होंगी वे एक साथ जारी होंगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नयी उद्योग नीति निवेश संवर्धन और रोजगारसृजन नीति होगी।

इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004 में लागू की गयी उद्योग संवर्धन नीति को अधिक उद्योग मित्र बनाया जा रहा है। इसके लिए उद्योगपतियों, उनके संगठनों और श्रम संगठनों से चर्चा कर नीति के प्रावधानों, अन्य विभागों के नीतियों नियमों और कानूनों में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर उद्योग संवर्धन नीति को प्रभावी बनाया जायगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर वातावरण बना है। यहां अब तेजी से निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं। प्रदेश में गत दो वर्ष में निजी क्षेत्र में 86 हजार करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। साथ ही भारत सरकार ने भी 16 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव दिये हैं। उन्होंने बताया कि टाटा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में प्रदेश को 18 राज्य में 9वां स्थान दिया है। पूर्व में यह नीचे से तीसरे स्थान पर था उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योगपतियों उद्यमियों के प्रयासों एवं विचार विमर्श के बाद और अच्छी उद्योग नीति बनाकर हम शत–प्रतिशत प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगे।

संगोष्ठी में वित्त मंत्री श्री राघव जी, लोक निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर डा. उमाशशि शर्मा, सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष श्री गौतम कोठारी, बड़ी संख्या में उद्योगपति तथा अधिकारी उपस्थित थे।